राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(20)वित्त/आब/2014 जयपुर, दिनांकः 05 दिसम्बर, 2017

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.11.2017 द्वारा विभिन्न जिला समितियों को वर्तमान में असामयिक एवं अप्रांसगिक मानते हुए भंग किया गया था, जिसमें क्र.सं. 1 पर मदिरा, डोडा पोस्त की दुकानों हेतु लॉटरी द्वारा चयन हेतु गठित समिति आदेश क्रमांक प.6(10)AR-3/2008 दिनांक 20.03.2012 अंकित था। वर्तमान में दिनांक 01.04.2016 से राज्य में डोडा पोस्त को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिस कारण से डोडा पोस्त के अनुज्ञापत्र विभाग द्वारा जारी नहीं किये जाते है। अतः मदिरा दुकानों के बन्दोबस्त हेतु निम्नलिखित जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया जाता है :–

1. जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. जिले का आबकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

जयपुर एवं जोधपुर जिलों में जिला पुलिस अधीक्षक के स्थान पर संबंधित पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक स्तर के मनोनीत अधिकारी माना जावेगा।

जिला कलेक्टर इस समिति में आवश्यकतानुसार उचित समझे जाने पर एक जिला स्तरीय अधिकारी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी को आमंत्रित कर सकते है। इस समिति द्वारा दिये गये निर्णयों के आदेश जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग वित्त (आबकारी) विभाग होगा।

आज्ञा से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, महोदय, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरित करने हेतु प्रेषित है।
9. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर
10. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
12. जिला कलेक्टर (समस्त)।
13. जिला पुलिस अधीक्षक (समस्त)।
14. जिला आबकारी अधिकारी (समस्त)।

संयुक्त शासन सचिव